

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा
पत्रांक-674/33-दिनांक, गोण्डा, अगस्त- 11 /2016
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

विषय:- जनपद-बलरामपुर में बलरामपुर-उतरौला (एस0एच0-26) मार्ग किमी0-24-23 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम गोदीपुर के गाटा संख्या-388 ख पर भारत पेट्रोलिय कार्पो0 लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प की स्थापना पर रिटेल आउटलेट(आवागमन) हे0 क्षेत्रफल-0.08391 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-39/11-सी-FP/UP/Others/17403/2016 दिनांक-14-07-2016 महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन कम में विन्दुवार अनुपालन रिपोर्ट निम्नवत् पुनः प्रेषित है:-

क्रमांक	आपत्ति	उत्तर
1	प्रस्तावित वन भूमि के 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है, किन्तु शीर्षक अंकित नहीं है ।	शीर्षक अंकित कर दिया गया है ।
2	प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लेण्ड शैडयूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है ।	हस्ताक्षर कर दिया गया है ।(पू0सं0-25)
3	प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि के जियो रिफरेंसड डिजिटल मैप के के0एम0एल0 शेष फाइल की सी0डी0संलग्न नहीं है ।	सी0डी0संलग्न है ।
4	100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 08 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है । 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया जाय ।	100 वृक्षों के ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण का प्राक्कलन पुनः तैयार किया गया है । इसमें वृक्षारोपण व ब्रिकगार्ड निर्माण प्रथम वर्ष तथा 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन बनाया गया है । (पू0सं0-58-61 अवलोकनीय)
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु चयनित स्थल को नहीं अंकित किया गया है तथा भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है ।	चयनित स्थल का नाम अंकित था किन्तु निर्धारित प्रारूप में दूसरा प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है ।(पू0सं0-57)
6	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित व चिन्हित प्रति संलग्न नहीं है ।	गजट नोटिफिकेशन की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है ।(पू0सं0-40-41 अवलोकनीय)
7	एन0पी0वी0 में बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की बचनबद्धता संलग्न नहीं है ।	एन0पी0वी0 का दूसरा प्रमाण पत्र यथा स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी से लेकर लगाया गया है जिसमें बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की बचनबद्धता सम्मिलित है (पू0सं0-35)
8	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक-24-07-2013 के अनुसार अनुमोदित ले आउट प्लान संलग्न नहीं है ।	ले आउटप्लान लो0नि0वि0 का हस्ताक्षरित संलग्न है ।(पू0सं0-28)

संलग्न: प्रमाण पत्र, 28 अगस्त 2016